संख्या-974/2026/1884/22-2-2024-17(657)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026*

विषय:- जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू कुशवाहा पुत्र श्री रामचरन कुशवाहा, निवासी जनपद-झाँसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू कुशवाहा पुत्र श्री रामचरन कुशवाहा, तालाबपुरा, थाना-चिरगांव, जनपद-झाँसी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2016 को 10 वर्ष के बच्चे को 20 रू0 देकर अपना लिंग 15 मिनट तक चुसवाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-134/2016 में भा0द0वि0 की धारा-377, 506 व 6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, झाँसी के दण्डादेश दिनांक 24.08.2018 द्वारा 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.11.2021 द्वारा 10 वर्ष की कारावास को 07 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.07.2023 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को यथावत रखा गया, दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 29 वर्ष की आयु एवं बन्दी द्वारा 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 26.04.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष 04 माह 03 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 09 माह 24 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (10 वर्ष के बच्चे के साथ घृणित/असामाजिक कृत्य किये जाने) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, समी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू कुशवाहा (बन्दी संख्या-242/23) पुत्र श्री रामचरन कुशवाहा, निवासी जनपद-झाँसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-974/2026/1884(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झाँसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in